

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भट्टा) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
7. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022

विषय:-प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट"

योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उत्तर प्रदेश के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-12/रा०३०शि०प०/०२/२०२१, दिनांक 08.01.2022, पत्र संख्या-40/रा०३०शि०प०/०२/२०२१, दिनांक 25.01.2022 एवं पत्र संख्या-117/रा०३०शि०प०/०१/२०२१, दिनांक 16.03.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन ₹ 0 54,41,700/- (रूपये चौबन लाख इकतालीस हजार सात सौ मात्र) का अनुदान/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	प्रमुख शोधकर्ता/विभाग का नाम	शीर्षक/विषय	एक्सपर्ट पैनल द्वारा संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर				
1	Dr. Rajeev Mishra	Rapid RT-PCR based	उपकरण	100000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	(Dept. of Life Science)	method to determine transmissibility, disease severity and therapeutic effectiveness for COVID-19	आकस्मिकता 50000 उपभोज्य सामग्री 50000 यात्रा 10000 ओवर हेड चार्ज 21000 योग 231000
2	Dr. Rolee Sharma (Dept. of Life Science & Biotechnology)	Natural Products as Potential Anti-biofilm agents to improve TB Drug treatment	अनावर्ती व्यय 55000 मैन पॉवर 84000 आकस्मिकता 5000 उपभोज्य सामग्री 100000 यात्रा/फिल्ड वर्क 5000 ओवर हेड चार्ज 25000 योग 274000
3	Anuradha kalani (Dept. of Life Science & Biotechnology)	An Assessment of Protective genes against SARS-CoV-2 in Indian Population	उपकरण 100000 मैन पॉवर 96000 आकस्मिकता 30000 उपभोज्य सामग्री 50000 यात्रा/फिल्ड वर्क 10000 ओवर हेड चार्ज 28600 योग 314600
4	Dr. Chandresh Sharma (Dept. of Biotechnology)	Developing a reliable and accurate diagnostics for SARS-CoV-2 Variant of concerns (VOCs)	उपकरण 100000 मैन पॉवर 60000 आकस्मिकता 10000 उपभोज्य सामग्री 50000 यात्रा/फिल्ड वर्क 10000 ओवर हेड चार्ज 23000 योग 253000
5	Dr. Mridulesh singh (Department of Buseness management)	Effect on Human consciousness by Impulsive Promotion through evoking Health awareness	अनावर्ती व्यय-उपकरण 40000 आदि आकस्मिकता 5000 उपभोज्य सामग्री 10000 यात्रा/फिल्ड वर्क 60000 ओवर हेड चार्ज 11500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

			योग	126500
6	Dr. Siddhartha Kumar Mishra (Department of Life Science)	Assessment of the Cancer Prevention Efficacy of Polyherbal Combinations against Cancer Cells using Multimodal Approach	मैन पावर	144000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			यात्रा/फ़िल्ड वर्क	10000
			योग	354000

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भर्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

7	Dr. Manmohan Tiwari (Dept. of Sanskrit)	संस्कृत साहित्य में नाट्य-परम्परा का विमर्श	उपकरण	25000
			मैन पॉवर	50000
			आकस्मिकता	19000
			उपभोज्य सामग्री	19000
			यात्रा/फ़िल्ड वर्क	25000
			योग	138000

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

8	Prof.(Dr.) Mukul Srivastava (Department of Journalism & Mass Communication)	Revisiting the idea of news in the Hindi heartland: An exploratory study on journalists' perception of what makes news	अनावर्ती व्यय-उपकरण आदि	155000
			रिसर्च बुक्स एण्ड जर्नल्स	50000
			उपभोज्य सामग्री	10000
			आकस्मिकता/ वर्किंग एक्सपैसेस	20000
			ट्रैवल/फ़िल्ड फैसिलिटीज/ फ़िल्ड ट्रिप	50000
			योग	285000
9	Dr. Richa Saxena (Department of Law)	Assisted Reproductive Technology: An Evaluation of use of ART in Lucknow	प्रमोशनल इवेन्ट्स (सेमिनार/वर्कशाप)	50000
			आकस्मिकता	20000
			मैट्रिनेन्स उपकरण, बुक्स, स्टेशनरी आदि	60000
			यात्रा	20000
			योग	150000
10	Dr. Ashish Kumar Srivastava	Cyber Crime Against Women: Adjudication &	ट्रैवल एक्सपैसेस एण्ड ओवर हेड चार्ज	20000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	(Department of Law)	Justice Dispensation; A Study with reference to Lucknow	उपकरण एवं बुक्स प्रमोशनल इवेन्ट्स एवं कान्फ्रेंस मिससेलेनियस योग	100000 100000 10000 230000
11	Prof. D. K. Singh (Department of Social Work)	मादक द्रव्यों के सेवन से युवाओं में पनपने वाली मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकृति के रोकथाम में योग की भूमिका का विश्लेषणपरक अध्ययन	अनावर्ती व्यय उपभोज्य सामग्री आकस्मिकता यात्रा भत्ता अतिरिक्त व्यय योग	100000 20000 10000 20000 10000 160000
12	Prof. (Dr.) Amritesh Chandra Shukla (Department of Botany)	Plastic Waste Management, using Fungi ant its Metabolites	Celestron 44348 Penta View 5 MP LCD Digital Microscope with accessories Cultuere facilities viz., culture racks for stacking, physical balance, dryer & ceiling machine etc. मैन पावर आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा/फिल्ड वर्क ओवर हेड चार्ज योग	60000 74000 264000 5000 20000 5000 37900 465900
13	Prof. Anoop Kumar Bhartiya (Department of Social Work)	A Study on Life Struggles of Acid Attack Survivors	बुक्स एण्ड जर्नल्स डिजिटल वाइस रिकार्डर (02) हियरिंग सर्विसेस योग	10000 30000 50000 90000
14	Prof. Rakesh Dwivedi (Department of Social Work)	Reproductive Health Seeking Behavior among adolescent girls of 15 to 19 years age group of Rural and Urban Areas of Lucknow district	अनावर्ती व्यय आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा/फिल्ड वर्क योग	150000 40000 40000 24000 254000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepot.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15	Dr. Aashees Awasthi (Department of Physics)	Physicochemical investigations of Molecular interactions in Biologically important Multifunctional Molecules in Solutions	अनावर्ती व्यय-उपकरण आदि	100000
			आकस्मिकता	15000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			यात्रा/फील्ड वर्क	5000
			ओवर हेड चार्ज	14500
			योग	159500

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

16	Dr. Pramendra Kumar (Department of Applied Chemistry)	Designing of bio-Degradable Polymenr Films having Optimum mechanical Properties for Carry Bag Usage	अनावर्ती व्यय-उपकरण आदि	300000
			आकस्मिकता	30000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			योग	380000
17	Dr. Susmita Gupta (Department of Applied Chemistry)	Synthesis Characterization and Application of Inorganic metal Based Chromophoric materials for DSSC	अनावर्ती व्यय-उपकरण आदि	195000
			मैन पावर	60000
			आकस्मिकता	5000
			उपभोज्य सामग्री	35000
			ओवर हेड चार्ज	5000
			योग	300000

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या

18	Dr. Sachchida Nand Shukla (Department of Physics & Electronics)	Development and Analysis of Small-Signal Sziklai pair Amplifiers and other Linear Electronic Circuits	मैन पावर	144000
			आकस्मिकता	10000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			ओवर हेड चार्ज	2000
			योग	166000
19	Dr. Sangram Singh (Department of Biochemistry)	Impact of phytochemicals having high antioxidant properties from medicinal plants on their phytoremediation efficiency of Cr ⁶⁺ contaminated water	मैन पावर	72000
			आकस्मिकता	30000
			केमिकल्स एण्ड ग्लासवेयर	100000
			फील्ड वर्क/यात्रा	15000
			ओवर हेड चार्ज	15000
			योग	232000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

20	Dr. Nisha Singh (Department of English and other foreign Languages)	Role and Contribution of Women in making of Shri Kashi Vishwanath Dham Corridor	यात्रा उपकरण उपभोज्य सामग्री योग	20000 110000 20000 150000
21	Dr. Bhavana Verma (Department of Social Work)	Educational Status of Adolescents girls in Tribal Community (With special reference to Sonbhadra District of Uttar Pradesh)	अनावर्ती व्यय- बुक्स एवं जर्नल्स आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा/फील्ड वर्क ओवर हेड चार्ज योग	15000 15000 5000 80000 11500 126500
22	Dr. Nimisha Gupta (Department of Social work)	A Qualitative Study of self-reflections of women empowered through Khadi (with special reference to Sewapuri block of district Varanasi)	एक रिसर्च असिस्टेंट यात्रा/फील्ड वर्क आकस्मिकता ओवर हेड चार्ज योग	216000 20000 10000 24600 270600
23	Dr. Shaila Parveen (Department of Social Work)	वाराणसी शहर में कचरा उठाने वाले बच्चों एवं किशोरों में मानसिक रूग्णता का अध्ययन एवं समाज कार्य की भूमिका	अनावर्ती व्यय आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा भत्ता ओवर हेड चार्ज योग	5000 25000 10000 70000 11000 121000

राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

24	डॉ आनन्दा नन्द त्रिपाठी (राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान विद्या शाखा)	Local Government and Political Participation of Women : Study of Bundelkhand region of Uttar Pradesh	उपकरण आदि बुक्स ¹ मैन पॉवर आकस्मिकता उपभोज्य सामग्री यात्रा/फील्ड वर्क ओवर हेड चार्ज योग	60000 20000 36000 20000 25000 30000 19100 210100
महायोग				5441700

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या -1604/सतर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। निदेशालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मर्दों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मर्दों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा ।
12. प्रक्षणत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।
13. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 54,41,700 (रूपये चौवन लाख इकतालीस हजार सात सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202038001300 प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्व अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार,
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-44/2022/868(1)/सत्तर-4-2022/001-4-28-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, ३०प्र० प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, ३०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्द्रिया भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।